Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)
UGC Approved Sr.No.64259
Vol - V Issue-I JANUARY 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574

भारतीय आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में जल संरक्षण की आवश्यकता का व्यूहरचनात्मक अध्ययन

डॉ प्रशान्त कुमार
व्याख्याता - व्या. प्रशासन
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चुरू

डॉ अनुरोध गोधा
सहायक आचार्य - वाणिज्य
वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रस्तुत शोध आलेख भारत में जल संरक्षण के विविध को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से समाहित करता है। भारत में जल संरक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को विशिष्ट व्यूहरचना बनाकर दूर किया जा सकता है। भारत में आज जीवनदायक शुद्ध जल की मात्रा अल्प हो गई है। मानवजनित गतिविधियों के कारण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अपरदन से पेयजल नदियों, झीलों, झरनों एवं भू - जल अत्यन्त सीमित हो गया है। इससे मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की हम सहज कल्पना कर सकते है। इन परिस्थितीयों में भारतीय जनमानस में जल संरक्षण के प्रचार - प्रसार की महती आवश्यकता है। प्रस्तुत शोधपत्र इसी दिशा में लघु प्रयास है।

भारत में जल का उपयोग विभिन्न मानवीय गतिविधियों में किया जाता है। पेयजल के अतिरिक्त लगभग **७०:** जल कृषि, उद्योग एवं आर्थिक विकास की अन्य गतिविधियों में काम आता है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पेयजल की मांग, आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं जैसे मुर्गीपालन, सुअरपालन एवं ओद्यौगिक क्रियाओं में जल का उपयोग बहुतायत से होता है। आधुनिक काल में जल प्रदूषण बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन गया है। विकास की तीव्र गति, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्तावाद के कारण हमारे देश के पेयजल संसाधन अत्यधिक प्रदूषित हो गये है। औद्योगिक एवं मानवीय अपशिष्ट हमारी नदियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदुषित कर रहे है। शहर ही नहीं अपितु गॉवों में भी औद्योगिक विकास गतिविधियों के कारण जल स्त्रोत प्रदूषित हो गये है। **रामालिंगम् राजू द्वारा सन् २०१२** में किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में मात्र **१०.४:** जनसंख्या को ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। जल शिक्षा संस्थान, नीदरलैण्ड द्वारा किये गये अध्ययन (**सन् २००५**) के अनुसार शुद्ध जल की उपलब्धता भारत में प्रतिव्यक्ति की दृष्टि से कठिन स्थिति मे पहुँच गई है। जनसंख्या विस्फोट, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, खाद के निरंतर अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारे जैव मण्डल में प्राणीजगत के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है। भारत में पशुपालन,डेयरी एवं मछलीपालन विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **सन् २०१४** में जारी किये गये आंकड़ो के अनुसार **७.३** मिलियन हैक्टेयर **अन्य श्रेणी** का जल माना जाता है जिसमें संरक्षित क्षेत्र, कुएँ एवं तालाब, झीले एवं छोटे तालाब सम्मिलित है। जनसंख्या के स्तर एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह मात्रा सीमित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनमानस में जल उपयोग के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना प्रासंगिक है।

शोध आलेख की प्रविधि

शोधपत्र को समेकित एवं बोधगम्य बनाने तथा जल संरक्षण की दिशा में व्यूहरचनात्मक परिवर्तन के लिए भारतीय एवं विदेशी संस्थानों से प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, लघुशोध प्रतिवेदन का उपयोग द्वितीयक समंकों के रूप में किया गया है। राज्य एवं केन्द्र स्तरीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ई - दस्तावेज को आधार बनाया गया है।

समेकित जल संरक्षण प्रक्रम

समेकित जल संसाधन विकास के लिये गठित राष्टीय आयोग **(सितंबर,१९९९)** द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि २० वीं शताब्दी के अन्त में जल की उपलब्धता, उपयोग की दृष्टि से संपूर्ण विश्व संकट में है। भावी एवं वर्तमान पीढ़ियों के लिए यह एक संवेदनशील विषय है। विश्व की कुल आबादी का लगभग **१६:** हिस्सा कुल उपलब्ध जल संसाधनों के **४:** हिस्से का उपयोग करता है। भारत के लिए वर्षाऋतु में नदियों में आने वाली बाढ में बहकर जाने वाला जल कई त्रासदियों को लेकर आता है। शहरी क्षेत्रों में लगभग **६०:** जनसंख्या स्थलीय जल पर निर्भर है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या का **७५:** हिस्सा जमीन से निकाले जाने वाले जल पर निर्भर करता है। अंधाधुंध खोदे जा रह ट्यूबवैल के कारण जल दोहन बढ़ा है। भारत में लगभग **५३००** बड़े बांध है। (**स्त्रोतः केन्द्रीय भू- जल बोर्ड**) भारत के कुछ भू-भागों में बाँध बना कर जल संरक्षित किया जाता है। लेकिन विशाल देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने जल की बढती मांग को देखते हुए बोरहोल्स किये है। इस परिस्थिति में जल संरक्षण की दृष्टि से निम्न कार्य किए जाने आवश्यक है-

१. जल के उपयोग की योजना, जल संरक्षण संबंधी व्यूहरचना, नीतियों का निर्माण ।
२. विविध पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का निर्माण एवं उपयोग ।
३. पर्यावरणीय संभावित खतरों का विश्लेषण।
४. जल संरक्षण की दिशा में आवश्यकतानुसार कानूनों का निर्माण।
५. जल संरक्षण संबंधी जनजागृति अभियानों का क्रियान्वयन।
६. जनमानस में सुरक्षित पेयजल के उपयोग संबंधी आदतों का विकास।

भारत जैसे अर्द्धविकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा शुद्ध जल की अनुपलब्धता है। भारतीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में व्यूहरचनात्मक दृष्टि से जल संरक्षण की शिक्षा सही मायनों में नहीं दी जा रही है। इसके लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनाई गई जल नीति का उल्लेख करना प्रासंगिक है। **जल नीति-२०१२** भारत में जल संसाधनों के प्रबंध एवं विकास को समुचित करती है। राष्ट्रिय दृष्टि से इस नीति के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान जल संकट की भयावहता को ध्यान में रखते हुए विविध कानूनों का निर्माण एवं संस्थागत प्रयासों को बढ़ावा देना है। *जल नीति-२०१२ जल संरक्षण कानून का निर्माण, जल प्रयोग की आदतों में परिवर्तन, जल की कीमत का पुनर्निधारण, नदियों का संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, जलापूर्ति एवं सफाई संबंधी कार्य, शोध एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं जल संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने को बढावा देती है।* भारतीय परिप्रेक्ष्य में नदियाँ एक बड़े जल स्त्रोत के रूप में है। वर्षा का जल नदियों में जल स्तर बढा देता है। भारत सरकार द्वारा जलापूर्ति एवं मांग में संतुलन स्थापित करने के लिए जल संसाधन विकास परियोजनाओं संचालित की गई है। **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा** जारी **११वीं योजना** के अनुमान के अनुसार **सन् २०२५** तक जल की मांग **१०९३ बीसीएम** हो जायेगी। इस बढी हुई मांग को पूरा करने की दिशा में भारत सरकार को उपलब्ध जल की मात्रा एवं उपयोग को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनानी होगी। यहाँ दी गई व्यूहरचनाओं का उपयोग जल संरक्षण की दिशा में किया जा सकता है।

जल संरक्षण व्यूहरचनाएँ

१. टी.वी, इन्टरनेट का श्रृव्य-दृश्य मीडिया रूप में उपयोग एव फेसबुक,टविट्र जैसे सोशल मीडिया का उपयोग।
२. प्रिंट मीडिया - समाचारपत्र, आलेख, पुस्तक प्रकाशन का उपयोग।
३. ग्रामीण क्षेत्रों में परिचर्चा, संवाद कार्यक्रमों का आयोजन एव सामाजिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं, विमर्श कार्यक्रमों, काउन्सलिंग का प्रयोग।
४. विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जल संरक्षण अभियान।

५. जल संरक्षण जैव विविधता की रक्षा के लिए कविता पाठ, वाद - विवाद, चित्रकला प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों का स्थानीय जन सहयोग से क्रियान्वयन एवं संचालन।
६. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा में जल संरक्षण विषय का गहनता से समावेश।
७. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत मानव संसाधन का प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास एवं जल बँटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों का सकारात्मक निपटारा।
८. लघु एवं वृहद शोध परियोजनाओं का निर्माण एवं उपयोग।

इस प्रकार उपर्युक्त व्यूहरचनाओं का प्रयोग करके जल संरक्षण की दिशा में सार्थक कार्य किया जा सकता है। जल संबंधी विविध समस्याओं के समाधान हेतु जनमानस के व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। हम इस तथ्य से परिचित है कि जल प्रदूषण ने हमारे जीवन को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सबको सुलभ हो, इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में अत्यधिक खतरनाक रसायनों के प्रयोग से भू - जल की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह् खड़े हो गये है। वर्षा जल संरक्षण, भू - जल स्तर को बढ़ाने, नदियों एवं तालाबों के जल संरक्षित करने की दिशा में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, एवं आम आदमी को पर्यावरण संरक्षण करना होगा।

संदर्भ :

१. दीपचंद पाराशर - वैश्विक जलवायु संरक्षण, २००५
२. राष्ट्रिय जल नीति दस्तावेज - २०१२
३. अनिल वाद्यमारे - जल संरक्षण, सुषमा प्रकाशन, जयपुर
४. विभिन्न प्रतिवेदन द्वारा केन्द्रीय भू - जल बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग
५. विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन - जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
६. सुधीर श्रीवास्तव - पर्यावरण प्रदूषण, आशीष पब्लिशर्स हाऊस, नई दिल्ली
७. चित्रांश घोष - पर्यावरण शिक्षा, आनंद पब्लिसर्श, दिल्ली
८. जी. घोष, देवहर, - मानव मूल्यों की शिक्षा, मीना प्रकाशन बीकानेर
९. दैनिक भास्कर समाचारपत्र
१०. राजस्थान पत्रिका समाचारपत्र

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com